

अध्याय-१२

क	विवरण	लक्ष्य	बैंको में प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	वितरित प्रकरण
01	प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 15000 हजार	1857	2704	878	616
02	25000 हजार	1315	1569	971	837
03	50000 हजार	817	668	379	301
04	दीनदयाल रसोई योजना	लक्ष्य	उपलब्धि		
		03	03		
05	शहरी आजीविका केन्द्र	01	01		
06	आश्रय स्थल	03	03		

क्रं	योजना	लाभ एवं आवश्यक दस्तावेज	प्रक्रिया
1	मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना	लाभ - पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन पात्र होने पर सहायता 1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 5 हजार) 2.सामान्य मृत्यु सहायता (रु. 2 लाख), 3.दुर्घटना मृत्यु सहायता(रु. 4 लाख) 4.आंशिक दिव्यांगता सहायता (रु. 1 लाख) 5.स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (रु. 2 लाख) पंजीकृत श्रमिक के परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता 1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 5 हजार) दस्तावेज - संबल पंजीयन, 2 फोटो , आधारकार्ड, समग्र आई.डी. आश्रित का बैंक खाता मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. रिपोर्ट व अपंगता की स्थिति में शासकीय हास्पिटल सर्टिफिकेट	प्रक्रिया- नवीन पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता के आवेदन एमपी ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनमे वार्ड सर्वकर्ता द्वारा सर्वे कर आवेदन का निराकरण ऑनलाईन किया जाता है, साथ ही अनुग्रह सहायता का भुगतान समय-समय से शासन स्तर से सिधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है। अपात्रता- पति अथवा पत्नी शासकीय नोकरी, आयकर दाता, एवं एक हैक्टेयर से अधिक भूमि होने पर अपात्र माने जावेगे। ब.आवेदक का किसी भी प्रकार का भविष्य निधी, ग्रेच्युटी (पीएफ), सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता हो तो वह अपात्र माने जावेगे।
2	म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना	लाभ - पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन पात्र होने पर सहायता 1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 5 हजार) 2.सामान्य मृत्यु सहायता (रु. 2 लाख), 3.दुर्घटना मृत्यु सहायता(रु. 4 लाख) 4.आंशिक दिव्यांगता सहायता (रु. 1 लाख) 5.स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (रु. 2 लाख) पंजीकृत श्रमिक के परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता 1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 6 हजार) सायकल अनुदान (सायकल क्रय का 90 प्रतिशत अथवा 4 हजार रुपये जो भी	प्रक्रिया - नवीन पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता के आवेदन लोक सेवा ग्यारंटी के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनमे वार्ड सर्वकर्ता द्वारा सर्वे कर आवेदन का निराकरण ऑनलाईन किया जाता है, साथ ही अनुग्रह सहायता का भुगतान समय-समय से शासन स्तर से सिधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है। सायकल अनुदान अंतर्गत 2 वर्ष पुर्ण पंजीयन होने पर सायकल क्रय बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान अपात्रता- पति अथवा पत्नी शासकीय नोकरी, आयकर दाता, एवं एक हैक्टेयर से अधिक भूमि होने पर अपात्र माने जावेगे।

	कम हो) दस्तावेज - संबल पंजीयन, आधारकार्ड, समग्र आई.डी. आश्रित का बैंक खाता मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. रिपोर्ट व अपंगता की स्थिति में शासकीय हास्पिटल सर्टिफिकेट	ब.आवेदक का किसी भी प्रकार का भविष्य निधी, ग्रेच्युटी (पीएफ), सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता हो तो वह अपात्र माने जावेगे।
--	--	--

नोडल अधिकारी
 एनयूएलएम शाखा
 नगर पालिक निगम देवास
 म.प्र.